

संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी

(अपर बेसमेंट बी-विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

मध्यप्रदेश

:: विज्ञापन ::

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष
शिक्षण सत्र 2010-11 में प्रवेश हेतु प्रथम चरण की काउंसिलिंग कार्यक्रम
दिनांक **26-08-2010** से **06-09-2010**

P.A.H.U.T - 2010
FIRST COUNSELLING SCHEDULE

REPORTING DATE	COUNSELLING DATE	CATEGORY/CLASS	REPORTING TIME	GROUP	MERIT MARKS		TOTAL
					FROM	TO	
26.08.10	27.08.10	ST(S,FF,H)	9.00 AM	A	68.00	39.00	02
		ST(NIL)			116.00	62.00	112
			11.00 AM	B	61.00	52.00	116
			1.00 PM	C	51.00	46.00	118
			3.00 PM	D	45.00	42.00	103
							451
27.08.10	28.08.10	ST(NIL)	9.00 AM	A	41.00	26.00	186
		SC(S,FF,H)	11.00 AM	B	87.00	40.00	154
		SC(NIL)	11.00 AM	B	127.00	64.00	
			1.00 PM	C	63.00	52.00	149
			3.00 PM	D	51.00	47.00	150
							639
28.08.10	29.08.10	SC(NIL)	9.00 AM	A	46.00	42.00	150
			11.00 AM	B	41.00	36.00	153
			1.00 PM	C	35.00	21.00	
					98.00	33.00	154
		OBC(S,FF,H)	1.00 PM	C	120.00	91.00	
OBC(NIL)	3.00 PM	D	90.00	68.00	162		
							619
29.08.10	30.08.10	OBC(NIL)	9.00 AM	A	67.00	58.00	159
			11.00 AM	B	57.00	52.00	148
			1.00 PM	C	51.00	48.00	192
			3.00 PM	D	47.00	45.00	194
30.08.10	31.08.10	OBC(NIL)	9.00 AM	A	44.00	42.00	201
			11.00 AM	B	41.00	39.00	184
			1.00 PM	C	38.00	36.00	154
			3.00 PM	D	35.00	11.00	150
31.08.10	01.09.10	UR(S,FF,H)	9.00 AM	A	106.00	32.00	213
		UR(NIL)	9.00 AM	A	127.00	91.00	
			11.00 AM	B	90.00	78.00	202
			1.00 PM	C	77.00	69.00	216
			3.00 PM	D	68.00	63.00	221
							852
01.09.10	02.09.10	UR(NIL)	9.00 AM	A	62.00	60.00	144
			11.00 AM	B	59.00	57.00	201
			1.00 PM	C	56.00	54.00	204
			3.00 PM	D	53.00	52.00	169

02.09.10	03.09.10	UR(NIL)	9.00 AM	A	51.00	50.00	222
			11.00 AM	B	49.00	49.00	143
			1.00 PM	C	48.00	48.00	157
			3.00 PM	D	47.00	47.00	149
							671
03.09.10	04.09.10	UR(NIL)	9.00 AM	A	46.00	46.00	136
			11.00 AM	B	45.00	45.00	185
			1.00 PM	C	44.00	43.00	330
			3.00 PM	D	42.00	42.00	188
							839
04.09.10	05.09.10	UR(NIL)	9.00 AM	A	41.00	40.00	308
			11.00 AM	B	39.00	38.00	284
			1.00 PM	C	37.00	36.00	228
			3.00 PM	D	35.00	35.00	89
							909
05.09.10	06.09.10	UR(NIL)	9.00 AM	A	34.00	33.00	123
			11.00 AM	B	32.00	5.00	173
							TOTAL
							296

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रकाशित पी.ए.एच.यू.टी. 2010 के परीक्षा परिणामों के आधार पर निर्मित मेरिट/प्रतीक्षा सूची के आधार पर प्रदेश के समस्त शासकीय एवं निजी क्षेत्र के भारत सरकार के आयुष विभाग से मान्यता प्राप्त व क्षेत्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग का प्रथम चरण दिनांक 26.08.2010 से 06.09.2010 तक “पं० खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, मैनिट के पीछे, साईन्स हिल्स, कोलार-नेहरू नगर बायपास रोड़, भोपाल 462003 (दूरभाष-0755-2805689)” में सम्पन्न होगा।

उम्मीदवार काउंसिलिंग शेड्यूल के अनुसार अपने मेरिट प्राप्तांकों के आधार पर काउंसिलिंग के लिये निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन कराकर प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। उपस्थित न होने की दशा में वह अपना अवसर खो देंगे। शेष नियम, आवश्यक प्रमाण-पत्र इत्यादि के लिए पी.ए.एच.यू.टी प्रवेश नियम-2010 देखें, जो कि व्यापम की वेबसाईट www.vypam.nic.in पर भी उपलब्ध है।

नोट :-

1. काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसिलिंग प्रक्रिया शुल्क के रूप में राशि रु. 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो, “प्रधानाचार्य, पं० खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल” “Pt. K.L.S. G.Ayu.C. Bhopal” के नाम देय हो, प्रस्तुत करने पर ही काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा।
2. काउंसिलिंग हेतु आंशिक शिक्षण-शुल्क के रूप में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार रुपये 1000/- का बैंक ड्राफ्ट तथा अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार रु. 10,000/- का बैंक ड्राफ्ट “प्रधानाचार्य, पं० खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं

संस्थान, भोपाल” “Pt. K.L.S. G.Ayu.C. Bhopal” के नाम देय हो, लेकर आयें। नगद राशि नहीं ली जायेगी।

3. काउंसिलिंग में आवंटित महाविद्यालय में दी गयी तिथि तक अथवा काउंसिलिंग में/के समय कॉलेज काउंटर पर प्रवेश सुनिश्चित करावें। ताकि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग की स्थिति, प्रथम चरण काउंसिलिंग के अंतिम दिवस में स्पष्ट हो सके।
4. काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. काउंसिलिंग के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र / अभिलेख (समस्त अभिलेखों की छायाप्रति सहित उपस्थित हो)–
 - (1) पाहुत प्रवेश परीक्षा 2010 की अंकसूची।
 - (2) अर्हता परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण की अंकसूची।
 - (3) कक्षा 10वीं बोर्ड की अंकसूची जन्मतिथि हेतु।
 - (4) बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु उर्दू विषय उत्तीर्ण 10वीं या हायर सेकेण्डरी बोर्ड की अंकसूची।
 - (5) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति प्रमाण-पत्र।
 - (6) शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश हेतु म0प्र0 मूल निवास प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो।
 - (7) प्रवेश नियम 2010 के अनुसार सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/विकलांग हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
 - (8) एक नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
 - (9) विगत पांच वर्षों में अध्ययन में यदि कोई व्यवधान हो तो तत्संबंधी कारण बताते हुये शपथ-पत्र (एफिडेविट) जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि उन्होंने किसी संस्था में प्रवेश नहीं लिया तथा गैर कानूनी गतिविधियों में भाग नहीं लिया।

किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार को पृथक से बुलावा पत्र (कॉल लेटर) नहीं भेजा जा रहा है। अतः विज्ञापन में वर्णित निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही प्राप्तांक के आधार पर काउंसिलिंग में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार नियत तिथि को उपस्थित हों।

विज्ञापन संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.mp.gov.in/dismh पर भी उपलब्ध है।

आयुक्त
भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी
मध्यप्रदेश